संख्या 886 / 54–1–12 /

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
(जनपद– गाजियाबाद, गौतमबुद्व नगर, कासगंज तथा शामली को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 लखनऊ, दिनॉक 12 दिसम्बर, 2012
(समादेश बन्धु)

विषय–**आईडब्ल्यूएमपी योजना के प्रारम्भिक चरण के कार्यों में आस्थामूलक कार्य (इ.पी.ए.) के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईडब्ल्यूएमपी योजना के लिये निर्गत कामन गाइड लाइन, 2008, (संशोधित 2011) के प्रस्तर–8.1 में प्रारम्भिक चरण के कार्यों का उल्लेख किया गया है। इस चरण के मुख्य उद्देश्य सहभागिता पद्वति को अपनाने तथा स्थानीय संस्थाओं [वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी), स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), तथा प्रयोक्ता समूह (यू.जी.)] को अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु उपयुक्त तंत्र का निर्माण करना है। इस चरण के दौरान वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यूडीटी) एक सुविधाप्रदाता की भूमिका अदा करेगा।

2. वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यूडीटी) को ग्रामीण समुदाय के साथ सम्बन्ध स्थापित करने तथा उनके मध्य विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये निम्न आस्थामूलक कार्य (इपीए) करने की व्यवस्था कामन गाइड लाइन में की गयी है।

(i) स्थानीय समुदायों की तत्काल आवश्यकताओं पर आधारित कार्य जैसे– सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधनों को पुनः उपयोग योग्य बनाना, पेयजल की उपलब्धता बढाना, स्थानीय ऊर्जा शक्यता का विकास करना, भू–जल शक्यता का संवर्द्वन करना आदि।

(ii) पूर्व में किये गये सार्वजनिक निवेश तथा पारम्परिक जल ग्रहण संरचनाओं से इष्टतम और सतत् लाभ प्राप्त करने हेतु मौजूदा सार्वजनिक सम्पत्ति, परिसम्पत्तियों तथा संरचनाओं (जैसे– गॉव के टैंक) की मरम्मत करने, पुनः उपयोग योग्य बनाने तथा उनका उन्नयन करने का कार्य शुरू किया जा सकता है।

(iii) मौजूदा कृषि प्रणालियों की उत्पादकता का संवर्द्वन करना भी एक ऐसा कार्यकलाप हो सकता है, जिससे सामुदायिक संघटन तथा संबंध स्थापित करने में सहायता मिल सकती है।

3. मार्गदर्शी सिद्वान्त में आस्थामूलक कार्य (इपीए) को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के उपरान्त भी कतिपय इकाईयों द्वारा ऐसे निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जो मार्गदर्शी सिद्वान्त से आच्छादित नही होते हैं तथा जिनको कराने के लिये अन्य विभागों में व्यवस्था है तथा भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा इन कार्यो के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जाती है, यथा– स्कूल बाण्उड्री, खण्डजा, सम्पर्क मार्ग, हैण्ड पम्प लगवाना आदि। ऐसे निर्माण कार्यों से भ्रम

stnt

संख्या– 886/54–1–2012/

की स्थिति पैदा होती है तथा दोहरे भुगतान की सम्भावना बनी रहती है। ऐसे में इन्हें वित्तीय अनियमितताओं की श्रेणी में रखा जायेगा।

4. आस्थामूलक कार्य (ईपीए) का प्रस्ताव परियोजना क्षेत्र के ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने के उपरान्त इसका विधिवत परीक्षण पीआईए द्वारा किया जाय। प्रस्ताव औचित्यपूर्ण होने की स्थिति में तकनीकी नियोजन एवं ऑगणन तैयार कर संस्तुति सहित डब्ल्यूसीडीसी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय तथा डब्ल्यूसीडीसी से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही इपीए का कार्य निष्पादित कराया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

18.12.12

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या– (1)/54–1–2012– तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं प्रशासक शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन परियोजना, 23 सी गोखले मार्ग, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजन, पाण्डु नगर कानपुर।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी (जनपद–गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कांसगंज तथा शामली को छोड़कर) उत्तर प्रदेश।
6. कृषि निदेशक, उ0प्र0 कृषि भवन, लखनऊ।
7. समस्त उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0।
8. प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेविल डाटा सेन्टर, 23 सी, गोखले मार्ग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय बेवसाइट http://upldwr.up.nic.in पर अपलोड कराये तथा समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष डब्ल्यूसीडीसी को **ई–मेल** के माध्यम से भी सूचित करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी